न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 104/2019
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 14/10/2019
निर्णय दिनांक : 04/12/2019

कानाराम पुत्र देवाराम, जाति गुर्जर, निवासी देवलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र दुरूस्ती इन्द्राज
(अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री मगनलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 04/12/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी खतोनी संख्या 31 की आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 3.9900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.9900 हैक्टेयर वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा अभी वर्तमान में प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा हैं। प्रार्थी ने उक्त आराजी जरिये विकय–पत्र दिनांक 17/12/2012 को क्रय कर रखी है कय करने के पश्चात प्रार्थी ने अपने हक में दिनांक 04/02/2013 को नामान्तरकरण संख्या 179 खुला लिया था, जिसमें प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र देवाराम दर्ज हो रखा है, परन्तु वरवक्त जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के खाता संख्या 209 में पटवारी हल्का द्वारा अंकन करते समय प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र सेवा दर्ज कर दिया है, जो कि गलत दर्ज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कानाराम पुत्र देवाराम दर्ज होना चाहिये था, परन्तु राजकीय कारकुनानों की गलती से कानाराम पुत्र देवाराम की बजाय कानाराम पुत्र सेवाराम दर्ज कर दिया है, जो गलत है। उक्त गलती सहवन से हुयी है, जो काबिले दुरूस्ती है तथा अन्य

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

राजस्व खातों व नामान्तरकरणों में प्रार्थी के पिताजी का नाम देवाराम दर्ज है, जो सही हैं। प्रार्थी ने जब उक्त आराजीयात पर के.सी.सी. लेने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत राजस्व इन्द्राज की जानकारी हुयी हैं। प्रार्थी के आधारकार्ड, पहचान–पत्र, राशनकार्ड आदि में वल्दियत देवाराम ही दर्ज है, जबकि उक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में सहवन से कानाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र सेवाराम दर्ज हो गया है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त दुरूस्ती अभी हाल ही में दिनांक 07/10/2019 को श्रीमान तहसीलदार मौजमाबाद से आग्रह किया तो उन्होनें उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां पर चाराजोंही करने की सलाह दी, जिससे उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी खतौनी संख्या 31 के आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 3.9900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.9900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र सेवाराम के स्थान पर कानाराम पुत्र देवाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार दूदू को आदेश प्रदान करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078, विकय–पत्र फोटो प्रति, नामान्तरकरण फोटो प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2067–2070, जमाबन्दी पटवार हल्का आकोदा व पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम जडावता की जमाबन्दी वर्तमान अनुसार खसरा नम्बर 806 रकबा 3.99 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 में कानाराम पुत्र सुवाराम हिस्सा 1/5 जाति गुर्जर निवासी देवलां खातेदार दर्ज रिकार्ड है, ना0स0 179 ग्राम जडावता में विकय–पत्र की प्रविष्टी कानाराम पुत्र देवाराम जाति गुर्जर सा0 देवला

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

तहसील मौजमाबाद हिस्सा 1/5 दर्ज की गयी थी, जो सही है एवं विकय–पत्र की फोटो प्रति से प्रमाणित हैं, परन्तु ग्राम जडावता की जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 की खाता संख्या 209 में ना0स0 179 का अमल नोट लगाते समय तात्कालिक पटवारी द्वारा कानाराम पुत्र सेवाराम दर्ज कर दिया गया जो आगे के राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा हैं। उक्त प्रकरण में जमाबन्दी में दर्ज नाम कानाराम पुत्र सेवाराम जाति गुर्जर हि. 1/5 नि0 देवला तह0 मौजमाबाद के बजाय कानाराम पुत्र देवाराम, जाति गुर्जर हि. 1/5 नि0 देवलां तह0 मौजमाबाद शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की जाती हैं।"

इस प्रकार तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 806 रकबा 3.99 हैक्टेयर में कानाराम पुत्र सुवाराम हिस्सा 1/5 जाति गुर्जर निवासी देवलां खातेदार दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि प्रार्थी ने रजि0 विकय–पत्र के द्वारा कय की हे, जिसमें प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र देवाराम दर्ज है, जो सही है तथा इसके आधार पर जो ना0स0 179 ग्राम जडावता में विकय–पत्र की प्रविष्टी की गयी है, वह भी कानाराम पुत्र देवाराम के नाम से ही की गयी थी, जो सही है परन्तु इसके पश्चात ग्राम जडावता की जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 की खाता संख्या 209 में ना0स0 179 का अमल नोट लगाते समय राजस्व कारकुनानों द्वारा प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर सहवन से कानाराम पुत्र सेवाराम दर्ज किया जाना पाया जाता हैं, जो वर्तमान में ही गलत ही दर्ज चला आ रहा हैं। तहसीलदार दूदू ने दुरूस्ती बाबत अनुशंषा की हैं। प्रार्थी के नाम की ग्राम आकोदा की अन्य जमाबन्दी में पिता का सही नाम देवाराम ही दर्ज है, इस प्रकार उक्त त्रुटि मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश होना पाया जाता हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 3.9900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.9900 हैक्टेयर वाके ग्राम जडावता, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र सेवाराम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कानाराम पुत्र देवाराम दर्ज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू को पालनार्थ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner